

डिक्री व मुकदमें इत्तदाई  
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्डाधिकारी राजाखेडा

अज इजलास :- बृजेश कुमार मंगल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर: 51/14

उनवान: डोंगर सिंह पुत्र बिहारीलाल कौम राजपूत निवासी ग्राम दिघी तहसील राजाखेडा.....बादी

बनाम

1. मेतीलाल पुत्र डोंगर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दिघी तहसील राजाखेडा
  2. बिहारी
  3. सोनू
  4. नाहर सिंह
  5. श्रीकान्ता पुत्री बनवारी
  6. भूरी
  7. गुड्डी
  8. फरेन्द्र सिंह पुत्र मुरारीलाल जाति राजपूत नि० कस्बा महदवार राजाखेडा तहसील राजाखेडा
  9. पी.एन.बी. शाखा राजाखेडा जरिये प्रबन्धक
  10. तहसीलदार राजाखेडा
  11. हाइया वेवा बनवारी जाति राजपूत निवासी कस्बा महदवार राजाखेडा तहसील राजाखेडा
- पुत्रगण बनवारी }  
पुत्रीगण डोंगरसिंह }  
समस्त जाति राजपूत निवासीगण कस्बा महदवार राजाखेडा }  
जाति राजपूत निवासीगण ग्राम दिघी तहसील राजाखेडा }

दावा:- स्वत्व घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज मय स्थायी निषेधाज्ञा।

निर्णय दिनांक 11.08.2021

मु० नम्बर 51/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरु मुझ बृजेश कुमार मंगल (आर.ए.एस.) उपखण्डाधिकारी राजाखेडा व हाजिरी श्री अश्विनी कुमार जैन अभिभाषक वादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा न. 4351 रकवा 19 विस्वा 4353 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा 4354 रकवा 1 वीघा स्थित ग्राम दिघी तहसील राजाखेडा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एवं 6 व 7 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाशत की आराजी घोषित की जाती है। इस आराजी में वादी का हिस्सा 1/2 होगा तथा प्रतिवादी संख्या 1 मोतीलाल का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा होगा। आराजी खसरा न. 4352 रकवा 1 वीघा 10 विस्वा स्थित ग्राम दिघी तहसील राजाखेडा में प्रतिवादी संख्या 2 ल. 5 एवं 11 को 1/2 भाग का तथा प्रतिवादी संख्या 8 फरेन्द्र पुत्र मुरारीलाल को 1/2 भाग का खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में खसरा न. 4351, 4353, 4354 का पृथक खाता एवं खसरा न. 4352 का पृथक खाता खोले जाने के आदेश दिये जाते हैं।

व शब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज दिनांक 11.08.2021 को जारी की गई ।



(बृजेश कुमार मंगल)  
उपखण्ड अधिकारी  
आर.ए.एस.  
राजाखेडा (धौलपुर)  
उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा  
fk